



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 323]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2025-अग्रहायण 11, शक 1947

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2025

शुद्धि-पत्र

आर. क्र. 1146-45-सीसी-2025-अड़तीस.- राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1023-45-सीसी-25-अड़तीस, दिनांक 4 नवम्बर 2025, जो उसी दिवस को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, उसके हिन्दी पाठ में, पृष्ठ क्रमांक 603 पर, प्रस्तावना में, द्वितीय पंक्ति में, शब्द "तथा" का लोप किया जाए और तीसरी पंक्ति में, शब्द "निम्नलिखित से मिलकर बनने वाले" का लोप किया जाए एवं चौथी पंक्ति में, शब्द "आयोग में" के पश्चात्, शब्द "निम्नलिखित" अंतःस्थापित किया जाए साथ ही सरल क्रमांक (2) में शब्द "प्रशासन" के स्थान पर, शब्द "प्रशासनिक" स्थापित किया जाए.

CORRIGENDUM

R.No.1146-45-CC-2025-XXXVIII.- The State Government, hereby, issues the following Corrigendum in respect of this department's Notification No. 1023-45-CC-25-XXXVIII, dated 4th November 2025 published in the Madhya Pradesh Gazette on the same day, namely:-

In the said Notification, in its English version, at Page No. 604, in the Preamble, in the third line the word "and" shall be omitted and in the fifth line, the word "consisting" shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरन सिंह भलावी, अवर सचिव.